भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4580
दिनांक 27 मार्च, 2025

## कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत व्यय

†4580. डॉ. भोला सिंह :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान सरकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यकलाप करने वाली कंपनियों की वर्षवार सूची क्या है;
(ख) उक्त अवधि के दौरान इनमें से प्रत्येक कंपनी द्वारा सीएसआर के अंतर्गत कुल कितनी राशि व्यय की गई;
(ग) इन कंपनियों द्वारा सीएसआर के अंतर्गत शुरू की गई परियोजनाओं तथा पहलों का ब्यौरा क्या है तथा इन निधियों का उपयोग किन राज्यों तथा क्षेत्रों में किया गया; और
(घ) सीएसआर कार्यकलापों के लिए कंपनियों तथा परियोजनाओं के चयन के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया तथा मानदंड क्या हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (घ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा नैगम सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) निधियन के वर्ष-वार और कंपनी-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

(करोड़ रू. में )

| सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियां | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25* | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| ओएनजीसी | 458 | 476 | 635 | 602 | **2171** |
| आईओसीएल | 298 | 264 | 458 | 298 | **1318** |
| बीपीसीएल | 138 | 129 | 158 | 122 | **547** |
| एचपीसीएल | 136 | 155 | 76 | 37 | **404** |
| गेल | 205 | 99 | 176 | 111 | **591** |
| ओआईएल | 164 | 98 | 123 | 100 | **485** |
| एमआरपीएल | 10 | 9 | 20 | 19 | **58** |
| एनआरएल | 59 | 74 | 94 | 57 | **284** |
| सीपीसीएल | 10 | 6 | 20 | 17 | **53** |
| ईआईएल | 34 | 6 | 12 | 1 | **53** |
| बॉमर लॉरी | 10 | 4 | 4 | 3 | **21** |
| कुल | **1522** | **1320** | **1776** | **1367** | **5985** |

* जनवरी 25 के अंत तक

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अन्तर्गत अभिज्ञात शीर्षों के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस पेट्रोलियम कंपनियां (पीएसयूज) स्वास्थ्य (पोषण, स्वच्छता एवं पेयजल), शिक्षा, कौशल विकास, ग्रामीण

विकास, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण उन्मुखी पहलों एवं वयोवृद्धों और दिव्यांगों की देखभाल पर विशेष बल देते हुए सीएसआर कार्यकलाप करती हैं।

किए गए सीएसआर कार्यकलापों और उन पर खर्च की गई निधियों के क्रिया-कलाप/राज्य/ कार्यान्वयन एंजेसी/ के क्षेत्र-वार ब्यौरे सार्वजनिक क्षेत्र पेट्रोलियम कंपनियां के संबंधित वेबसाइट अर्थात www.ongcindia.com, www.iocl.com, www.bharatpetroleum.com, www.hindustanpetroleum.com, wwwgailonline.com, www.engineersindia.com, www.nrl.co.in, www.mrpl.co.in, www.cpcl.co.in, www.balmerlawrie.com, www.oil-india.com पर उपलब्ध है।

कार्यान्वयन एजेंसियों/परियोजनाओं का चयन कंपनी अधिनियम की धारा 135 के सीएसआर नियम में परिभाषित मानदंड के आधार पर किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियां ईमेल, सीएसआर पोर्टल/कंपनी वेबसाइट सहित वास्तविक(हार्ड कॉपी) और इलेक्ट्रोनिक माध्यम जैसे विभिन्न प्रस्तुत करने के माध्यम से सीएसआर प्रस्ताव प्राप्त करती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा स्वयं अथवा एजेंसी/ केन्द्र /राज्य सरकारों के विभाग के माध्यम से सीएसआर कार्यकलाप किए जाते हैं।

*****